Election matter
Urgent / Personal Attention

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला-171002, Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

No. SEC(F)2-6/2021-3077 Dated 21th April, 2023

सेवा में,

समस्त रिटर्निंग अधिकारी-एवं -
उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश

विषय:- **स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन / उप-निर्वाचन में विशिष्ट मतदाताओं द्वारा मतदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एवम् कोविड सम्बन्धी सामान्य दिशा निर्देश ।**

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि नगर निगम शिमला के सामान्य निर्वाचन व् प्रदेश में जारी उप-निर्वाचन की प्रक्रिया में विशिष्ट मतदाताओं, जिनमें 80 वर्ष या इससे अधिक की आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता और कोविड -19 से संक्रमित मतदाता शामिल है, को घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी । इस उद्देश्य हेतु आयोग ने उक्त मतदाताओं से मतदान की मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की है जोकि इस पत्र के साथ अनुलग्नक - 'क' पर इस आशय के साथ संलग्न है कि इस प्रक्रिया को वर्तमान में स्थानीय संस्थाओं के जारी निर्वाचन एवम् उप -निर्वाचन की प्रक्रिया में लागू किया जाये तथा इस उद्देश्य हेतु समस्त तैयारियां समय रहते कर ली जाएँ । इसके साथ ही कोविड सम्बन्धी सामान्य दिशानिर्देश भी अनुलग्नक - 'ख' पर इस आशय के साथ संलग्न है कि आगामी स्थानीय संस्थाओं के चुनावों व् उप-चुनावों के दौरान इन्हें दृष्टिगत रखा जाए ।

समस्त उपायुक्तों से यह आग्रह है कि उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया से सभी अभ्यर्थियों को अवगत करवाया जाये तथा इसकी प्रति आम जनता की सुचना हेतु जिला के वेब पोर्टल पर भी अपलोड की जाये ।

भवदीय
ह० राठौर
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश, शिमला -2.

Endst. No. No. SEC(F)2-6/2021-3078-3248 Dated th April, 2023

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.
2. प्रधान सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.
3. प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.
4. सचिव (स्वास्थय एवं परिवार कल्याण), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.
5. सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.
6. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला -2.
7. निदेशक (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश, शिमला -9.
8. निदेशक, जनसंपर्क विभाग को इस आशय के साथ कि वह इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे ।
9. निदेशक (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश, शिमला -1.
10. निदेशक, जनसंपर्क विभाग को इस आश्य के साथ कि वह इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे ।
11. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश ।
12. समस्त उप-मंडलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
13. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी-एवं- जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
14. समस्त खंड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

सु. राठौर
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश, शिमला -2.

अनुलग्नक 'क'

विशिष्ट मतदाताओं द्वारा मतदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

यत: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम शिमला के सामान्य चुनाव तथा शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनावो के लिए विशिष्ट श्रेणी मतदाताओं, जिनमें कोविड-19 रोगी, 80 वर्ष अथवा इससे ऊपर की आयु के मतदाता, 50 प्रतिशत से अधिक शारीरिक रूप से दिव्यांग मतदाता शामिल हैं, को घर से ही डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है;

अत: राज्य निर्वाचन आयोग, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA, हि. प्र. नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9, हि. प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 281 तथा हि. प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 में निहित है, उपरोक्त विशिष्ट श्रेणियों के मतदाताओं के मतदान के लिए निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करता है :-

1. कोविड रोगी मतदाता, यदि मतदान कि इच्छा रखता है, तो वह सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी को आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर प्रपत्र-क पर डाक मत पत्र के लिए आवेदन करेगा तथा साक्ष्य हेतु अपनी कोविड सम्बन्धी रिपोर्ट भी संलग्न करेगा । कोविड रोगी मतदाता केवल डाक मतपत्र से ही वोट करने का पात्र होगा ।
2. 80 वर्ष या इससे अधिक आयु का मतदाता यदि घर से मतदान करना चाहता है तो आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर प्रपत्र-क पर डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए आवेदन कर सकता है । मतदाता सूची में वर्णित आयु इस आवेदन हेतु साक्ष्य मानी जाएगी | ऐसे मतदाताओं के जीवनसाथी चाहे उनकी आयु 80 से कम ही क्यों न हो, भी घर से ही डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुन सकते है । परन्तु उन्हें भी अलग से निर्धारित तिथि में प्रपत्र-क पर आवेदन करना होगा |
3. विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति यदि घर से मतदान करना चाहता है तो उसे प्रपत्र-क पर निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अपनी 50 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा|

4. निर्धारित प्रपत्र -क पर आवेदन सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को **दिनांक 26-04-2023 सांय 5 बजे तक** प्राप्त हो जाने चाहिए |

5. संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के पश्चात् कोई भी विशिष्ट मतदाता अपना आवेदन वापिस नहीं ले सकेगा ।

6. यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इस आशय की सूचना सम्बंधित आवेदक को समय पर दी जानी अनिवार्य है |

7. संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी आवेदन प्राप्त होने तथा ऐसे मतदाताओं की पहचान तथा विशिष्ट मतदाता के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की जाँच से संतुष्ट होने के उपरांत ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार करेगा |

8. विशिष्ट मतदाताओं की सूची तैयार करने के पश्चात् सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सम्बंधित वार्ड /पोलिंग स्टेशन की मतदाता सूची में उस मतदाता की प्रविष्टि के सामने यह चिन्हित कर दिया गया है कि डाक मतपत्र जारी किया गया है । इस प्रकार चिन्हित की गयी मतदाता सूची ही पीठासीन अधिकारी को वास्तविक मतदान के लिए दी जाएगी (Marked copy of Electoral Rolls) I

9. रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं के मतदान के लिए विशेष मतदान दिवस का निर्धारण किया जाएगा | मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतदान दिवस एक से अधिक भी हो सकते है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह मतदान आयोग द्वारा निर्धारित मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 24 घंटे पूर्व पूर्ण होना चाहिए |

10. रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान के लिए निर्धारित की गयी तिथि की जानकारी विशिष्ट मतदाताओं एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थिओ को अग्रिम रूप से देनी अनिवार्य होगी |

11. मतदान के लिए रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मोबाइल मतदान दल नियुक्त किया जाएगा | इस मतदान दल में एक मतदान अधिकारी, एक सुरक्षाकर्मी तथा एक विडीओग्राफर होना चाहिए| यदि मतदाता कोविड-19 से संक्रमित है तो मतदान दल में एक स्वास्थ्यकर्मी भी नियुक्त किया जाएगा | कोविड-19 से संक्रमित मतदाता की

स्थिति में मतदान दल द्वारा कोविड सम्बन्धी नोडल अधिकारी कि निगरानी में कोविड सम्बंधित दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी ।

12. रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी, डाक मतपत्र जारी करते समय मतपत्र के प्रतिपर्ण (counterfoil) लिफाफे में सुरक्षित रखेगे तथा इनका इन्द्राज रजिस्टर में किया जाएगा । मतपत्र के प्रतिपर्ण (counterfoil) तथा रजिस्टर सील होने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों के बिना नहीं खोले जाएँगे ।
13. मतदान दल ऐसे विशिष्ट मतदाताओं का मतदान करवाने से पूर्व प्रपत्र-ख पर मतदाता के हस्ताक्षर लेगा तथा आयोग द्वारा मतदाता की पहचान के लिए निर्धारित किसी भी एक दस्तावेज की प्रति की जाँच करेगा तथा इसकी पहचान संख्या भी प्रपत्र -ख पर अंकित करेगा ।
14. मतदान दल को मतदाताओं के आवेदन के आधार पर मतपत्र, मतपत्र को रखने के लिए छोटे लिफाफे, एक बड़ा कपड़ा युक्त लिफाफा, (SE-8) स्टैम्प पैड, स्वास्तिक चिन्ह मोहर, गोंद व् pen इत्यादि उपलब्ध करवाया जाएगा ।
15. मतदान दल, ऐसे विशिष्ट मतदाता जिनका नाम सम्बंधित सूची में शामिल है, के घर जाकर मतदान की गोपनीयता को बनाए रखते हुए उनसे मतदान करवाएंगे तथा इस पुरी प्रक्रिया की वीडिओग्राफी की जाएगी । परन्तु ध्यान रखा जाएगा की वीडिओग्राफी के दौरान मतदान की गोपनीयता भंग न हो । मतदान करवाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि यदि मतदाता दृष्टिबाधित या शिथिलांग है तो सम्बंधित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए । मतदाता मतदान करने के बाद मतपत्र को इस तरह फोल्ड करेगा जिससे की यह पता न चल सके कि उसने किस प्रत्याशी को मतदान किया है । तदोपरान्त मतदाता उक्त मतपत्र को एक छोटे लिफाफे में गोंद से बंद कर देगा तथा मतदान दल के समक्ष छोटे लिफाफे को बड़े कपड़ा युक्त लिफाफे में डाल देगा ।
16. विशिष्ट मतदाता को मतदान दल द्वारा वोट डलवाने के लिए उनके घर जाने की तिथि तथा समय की अग्रिम सूचना दूरभाष द्वारा दी जाएगी । यदि एक बार जाने के बाद मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो मतदान दल दूसरी बार प्रयास करेगा । यदि दूसरी बार भी अग्रिम सूचना के उपरांत मतदाता घर पर नही मिलता है तो यह माना जाएगा कि मतदाता मतदान नहीं करना चाहता है ।

17. रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान दलों के विशिष्ट मतदाता के घरों के दौरों की समय सारणी से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अग्रिम रूप से अवगत करवाया जाएगा । यदि अभ्यर्थी चाहे तो वह रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी को पूर्व में सूचित कर स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को मतदान प्रक्रिया के अवलोकन के लिए मोबाइल मतदान दल के साथ भेज सकता है ।

18. मतदान दल में नियुक्त पोलिंग अधिकारी का यह उतरदायित्व होगा कि वह वोट डालने से पहले विशिष्ट मतदाता को डाक मतपत्र द्वारा वोट डालने की विधि से अवगत करवाए और यह सुनिश्चित करें कि मतदाता किसी भी बाहरी दवाब के बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करें ।

19. मतदान दल यह सुनिश्चित करेगा कि जितने भी मतदाताओं ने मतदान किया है वह समस्त लिफाफे प्रत्येक शाम 5:00 बजे से पूर्व संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाएं तथा किसी भी परिस्थिति में चिन्हित मतपत्रों को अपने पास न रखें ।

20. सहायक रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी मतपत्र सुरक्षित रखें जाएँ तथा प्राप्त डाक मतपत्रों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर भी रखें । मतगणना से पूर्व डाक मतपत्रों को मतगणना केंद्र पर सुरक्षित पहुँचाया जाएगा तथा ईवीएम/बैलट बॉक्स की गणना से पूर्व सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे सभी मतपत्रों को आपस में मिला दिया जाएगा । सर्वप्रथम इनकी गिनती की जाएगी तत्पश्चात ईवीएम/ बैलट बॉक्स से मतगणना की जाएगी ।

21. रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के प्रभावी निष्पादन के लिए मोबाइल मतदान दलों को इस प्रक्रिया से भली भांति अवगत/प्रशिक्षित करेंगें ।

22. जिस मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया गया है उसे पोलिंग बूथ पर वोट नहीं डालने दिया जाएगा ।

23. यह विशिष्ट श्रेणी के मतदाताओं के लिए एक वैकल्पिक सुविधा है | इस प्रक्रिया में मतपत्र डाक के माध्यम से प्राप्त करने या वापिस भेजने का कोई प्रावधान नहीं है |

अनुलग्नक 'ख'

कोविड -19 के बचाव हेतु सामान्य दिशानिर्देश:-

1. सभी मतदाता, प्रत्याशी, पोलिंग पार्टियाँ कोविड के लिए निर्धारित सामान्य प्रोटोकॉल का पालन करेंगे ।
2. मतदान केंद्र पर मतदाताओं के बीच लाइन में निर्धारित दुरी बना कर रखे । यदि किसी मतदाता को संक्रमण के लक्षण हो तो वह मतदान केंद्र पर मास्क लगा कर रखे ।
3. प्रचार के दौरान सभी नेता, प्रत्याशी व् कार्यकर्ता कोविड -19 के संक्रमण से बचने के सभी उपायों का पालन करेंगे । यदि किसी व्यक्ति को कोविड -19 के लक्षण हो तो उसे प्रचार से बचना चाहिए ।
4. रिटर्निंग अधिकारी सभी मतदान केन्द्रों पर उपयुक्त मात्रा में स्प्रे सैनिटाईजर उपलब्ध करवाएंगे ।
5. मतदान केंद्र व् मतगणना केंद्र पर नियुक्त पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन स्थानों पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो तथा मौके पर एकत्रित लोगो से यह आग्रह किया जाये कि वह उचित दुरी बनाये रखे तथा कोविड -19 के लक्षण वाले व्यक्तियों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाये । पुलिस व अधिकारियों के दिशानिर्देश न मानने वाले व्यक्तियों को तुरन्त स्थान छोड़ने के लिए कहा जाये ।

प्रपत्र - क

सहायक रिटर्निंग अधिकारी को विशिष्ट मतदाताओं द्वारा डाक मत पत्र प्राप्त करने के बारे में पत्र

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी

नगरपालिका /पंचायत ....

जिला ....

महोदय,

मैं..................................पुत्र /पुत्री/पत्नी ....

निवासी ग्राम/मोहल्ला ....

शहर/नगर/तहसील ....जिला...........................

का एक विशिष्ट मतदाता हूँ / मेरे जीवनसाथी की आयु 80 वर्ष या इससे अधिक है तथा वह एक विशिष्ट मतदाता है ।

मेरा वर्तमान पता निम्नलिखित है :-

गृह / निवास /मोहल्ला ....

वार्ड ....नगर पालिका/पंचायत.....................

जिला..............................राज्य.......................पिन कोड................

मोबाइल फ़ोन नं..................................

मेरा नाम नगर पालिका / पंचायत.......................के वार्ड नं ....की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या / मतदान केंद्र ....के क्रम संख्या....................पर दर्ज है ।

मैं ....वर्ष* की आयु का हूँ / दिव्यांग** व्यक्ति हूँ / कोविड संक्रमित रोगी*** हूँ / और मैं मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने की स्थिति में नहीं हूँ ***अथवा***

मेरे जीवनसाथी की आयु 80 वर्ष या इससे अधिक है तथा वह एक विशिष्ट मतदाता है ।

अतः मुझे उपरोक्त निर्वाचन के लिए विशिष्ट मतदाता के रूप में घर से ही मतदान करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

भवदीय

....

(पूरा नाम और हस्ताक्षर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गयी उपरोक्त विशिष्टियां सही है और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक मतदान के दिवस को मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकता ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गयी उपरोक्त विशिष्टियां सही नहीं पाई गयी अतः मतदाता का घर से ही मतदान करने का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया**** ।

....

रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

(रबर की मुद्रा)............................

जो लागू न हो उसे काट दें तथा सुसंगत कथन पर चिन्ह लगाएं ।

*80 वर्ष या इससे अधिक की उम्र के मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में अंकित उम्र ही विधिमान्य साक्ष्य होगी ।

**दिव्यांग व्यक्ति को 50 प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

*** कोविड संक्रमित रोगी को संक्रमण होने की रिपोर्ट को संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

****मतदाता का आवेदन पत्र स्वीकार न करने की स्थिति में उसे अवगत करवाया जाए ।

प्रपत्र-ख

(क्रम संख्या 13 देखें)

विशिष्ट मतदाताओं द्वारा मतदान के लिए प्रपत्र

क्र0 सं0	पंचायत/ नगरपालिका का नाम	वार्ड का नंबर व् नाम	पोलिंग स्टेशन की क्रम संख्या व् नाम	मतदाता सूची में क्रम संख्या	मतदाता का नाम	पिता/ पति/ माता का नाम	प्रस्तुत किया गया पहचान पत्र व् इसकी पहचान संख्या	मतदाता के हस्ताक्षर